O/o CE (EITC) 4443
Receipt No. 823
Date 29 MAY 2020
DGM (IT) / SE (O)
web

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री के.नारनवरे कार्यपालक निदेशक (रा.ग्रा.क्षे.) छ.ग.स्टे.पा.डिस्ट्री.कं.लिमि. रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 01/2020 दिनांक 22.04.2020

श्री घनश्याम विधवानी
तिफरा, बिलासपुर

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री एस.मनोज
जन सूचना अधिकारी
सह अधीक्षण अभियंता
कार्या.कार्यपालक निदेशक (रा.ग्रा.क्षे.)
छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

—:: आदेश ::—

(दिनांक 22.05.2020 को पारित)

अपीलार्थी श्री घनश्याम विधवानी की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी सह अधीक्षण अभियंता कार्या. कार्यपालक निदेशक (रा.ग्रा.क्षे.), छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं. लिमि., रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 01/2020 दिनांक 22.04.2020 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री घनश्याम विधवानी ने प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से निम्नलिखित बिन्दुवार जानकारी चाही गई है :—

(1) सत्र 2012—13 से 2014—15 के मध्य आपके विभाग के कार्यो के प्राकलनों में बजट/फण्ड आपके मुख्यालय से प्राकलनों तक जिन नियमों के तहत भेज कर प्राकलन स्वीकृत किया जाता है की प्रति।

(2) सत्र 2012—13 से 2014—15 के मध्य आपके विभाग के कार्यो के प्राकलनों को स्वीकृत करने हेतु संभागीय एवं वृत्तीय कार्यालय द्वारा जिन नियमों के अनुसार बजट एवं फण्ड की मांग की जाती है की प्रति।

जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को 01 पृष्ठ में जानकारी उपलब्ध करायी गई। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील आवेदन इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि उन्हे जनसूचना अधिकारी के द्वारा पूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की गई है।

(3) दर्ज प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार कर सूचना पत्र क्रमांक 16—01/ज.सू.अ./76 दिनांक 27.04.2020 के माध्यम से प्रतिलिपि जनसूचना अधिकारी को पृष्ठांकित करते हुए अपीलार्थी श्री विधवानी को सूचित किया गया कि कोविड—19 के तहत दिनांक 03.05.2020 तक लाक डाउन होने कारण अपील

...त होने की तारीख से आपको अलग से सूचित किया जावेगा, जिसके लिये सहयोग की अपेक्षा

उपरोक्त के दृष्टिगत अपील प्रकरण की सुनवाई दिनांक 20.05.2020 को दोपहर 12:00 बजे निर्धारित कर, अपीलार्थी को उनके द्वारा दिये गये पते पर एवं प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को पत्र क्रमांक 181 दिनांक 06.05.2020 के द्वारा सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित एवं प्रतिअपीलार्थी उपस्थित हुए। अतएव प्रकरण में गुण दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(4) निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि, कंडिका 02/टीप में चाही गई बिन्दुवार जानकारी के सम्बन्ध में आवेदक को पत्र क्रमांक 3840 दिनांक 24.02.2020 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर निम्नानुसार से अवगत करायी गई हैः–

(1) प्राक्कलन स्वीकृति हेतु किसी बजट/फण्ड की आवश्यकता नहीं होती है।
(2) प्राक्कलन स्वीकृति करने हेतु बजट/फण्ड की मांग नहीं की जाती है।

(5) निर्धारित तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित तथा प्रतिअपीलार्थी उपस्थित हुए। अपील के निराकरण की कार्यवाही एक अर्द्ध न्यायिक प्रकृति की है। अतः अपील के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालन अपेक्षित है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हों एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) उक्त तिथि को संबंधित अभिलेखों का अवलोकन कर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का प्रथम अपील मुख्य तर्क कि कंडिका 02/टीप में वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई हैं।

(iii) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी का पक्ष कथन की कंडिका 2/–टीप के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जानकारी एकत्रित करने की कार्यवाही की गई। वस्तुतः उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर कंडिका 4/– टीप में उल्लेखित जानकारी से अवगत करायी गई है।

(6) इस सम्पूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा कंडिका 4/– टीप में जो कार्यवाही की गई है, वह अपीलार्थी के समाधान हेतु पर्याप्त परिलक्षित नही होता है। अतएव प्रकरण में यथोचित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

(अ) जहां तक अपील का प्रश्न है अपीलार्थी श्री विधवानी द्वारा किस नियम की जानकारी चाही गई स्पष्ट नही है। अतः चाही गई जानकारी सत्र 2012–13 से 2014–15 से संबंधित कोई भी दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नही है। प्राक्कलन स्वीकृति बजट का आबंटन क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय द्वारा किया जाता है। अतः कार्यपालक निदेशक (संचा./संधा.) छ.स्टे.पा.डिस्ट्री.कं.लिमि., रायपुर के द्वारा जारी

क्रमांक 5521 दिनांक 11.11.2014 एवं 77 दिनांक 08.04.2015 तथा मुख्य अभियंता (रा.क्षे.) य के बजट विवरण को अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जा सकता है, जो अपीलार्थी के समाधान पर्याप्त होगा।

(ब) उक्ताशय के दृष्टिगत प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपील आदेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर कंडिका 6/– टीप में उल्लेखित जानकारी/दस्तावेज अपीलार्थी श्री घनश्याम विधवानी को स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराये।

उपरोक्त कंडिका 06/– टीप के पैरा (ब) के दृष्टिगत अपीलार्थी द्वारा दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 01/2020 दिनांक 22.04.2020) को स्वीकार कर, एतद द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(के. नारनवरे)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (रा.ग्रा.क्षे.)
छ.स्टे.पा.डिस्ट्र.कं.लिमि., रायपुर

क्रमांक 16–01/अपील प्रकरण–01/2020/ 360 — रायपुर दिनांक 22 MAY 2020

प्रतिलिपि :–

1. जनसूचना अधिकारी सह अधीक्षण अभियंता, कार्यालय कार्यपालक निदेशक (रा.ग्रा.क्षे.), छ.स्टे.पा. डि.कं.लिमि., रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री घनश्याम विधवानी एच.आई.जी.–1 डी/11 अभिलाषा परिसर, हाई–टेक बस स्टेंड तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता (EITC) छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते है।

पता :–

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष – 0771–2512106,2512108

(के. नारनवरे)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (रा.ग्रा.क्षे.)
छ.स्टे.पा.डिस्ट्र.कं.लिमि., रायपुर